The Madhya Pradesh Adim Jan Jatiyon Ka Sanrakshan (Vrakshon me Hit) Adhiniyam, 1999

Act 12 of 1999

Amendment appended: 18 of 2017

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

[1]मध्य प्रदेश, आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम 1999

(दिनांक 21 अप्रैल, 1999 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण" में दिनांक 24 अप्रैल, 1999 को प्रथम बार प्रकाशित की गई।

आदिम जनजातियों को शोषण से बचाने की दृष्टि से, उसके खातों पर खड़े हुए वृक्षों में उनके हितों का संरक्षण करने से संबंधित विधि को समेकित तथा संशोधित करने और अन्य विधियों तथा क्षेत्र में की परिवर्तित परिस्थितियों में सामन्जस्य स्थापित करने के लिए विधि बनाने हेतु अधिनियम।

भारत के गणराज्य के उनचासवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम 'मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999' है।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करें।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है।

2. परिभाषाएँ - इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "आदिम जनजाति" से अभिप्रेत है वे जनजातियाँ जो राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 65 की उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति के रूप में घोषित की गई हों और उसके अन्तर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में उस रूप में विनिर्दिष्ट "अनुसूचित जनजातियाँ" आती हैं;

(ख) "संहिता" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959);

(ग) "कलेक्टर" से अभिप्रेत है संबंधित जिले का कलेक्टर तथा उसके अन्तर्गत ऐसे जिले का अपर कलेक्टर भी आता है जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग करने तथा कृत्यों का पालन करने के लिए विशेष रूप से सशक्त किया गया हो;

(घ) "खाता" से अभिप्रेत है भूमि का टुकड़ा जिसका भू-राजस्व के लिए पृथक् से निर्धारण किया गया है तथा जो किसी आदिम जनजाति के भूमिस्वामी द्वारा धारित है;

(ङ) "विनिर्दिष्ट वृक्ष" से अभिप्रेत है अनुसूची में विनिर्दिष्ट वृक्षों की प्रजातियाँ;

(च) अभिव्यक्ति "भूमिस्वामी" का वही अर्थ होगा जो उसके लिये संहिता में दिया गया है।

3. आदिम जनजाति के भूमिस्वामी हम के उसके खाते पर खड़े विनिर्दिष्ट वृक्षों में हित का संरक्षण -

(1) ऐसा भूमि स्वामी, जो आदिम जनजाति का हो, के खाते पर खड़े हुए विनिर्दिष्ट जाति के कोई भी वृक्ष इसमें इसके पश्चात् उपबंधित के सिवाय काटे नहीं जायेंगे, उनका परितक्षण नहीं किया जाएगा या

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् या उसके पूर्व आदिम जनजाति के वर्तमान भूमि स्वामी द्वारा या उसके पूर्ववर्ती द्वारा, उसके खाते में के विनिर्दिष्ट वृक्षों की लकड़ी के विक्रय के लिए की गई कोई संविदा, चाहे वह कैसी भी हो, शून्य होगी, जिसमें उसकी उस भूमि, जिस पर ऐसे वृक्ष खड़े हुए हों, सहित या उसके बिना की, दोनों ही संविदाएँ सम्मिलित हैं।

---

1. म. प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 24.4.99 पृष्ठ 565-566 पर प्रकाशित।

4. विनिर्दिष्ट वृक्षों को काटने की अनुज्ञा

(1) आदिम जनजाति का कोई भूमि स्वामी, जो अपने खाते पर खड़े हुए किसी विनिर्दिष्ट वृक्ष को काटने का आशय रखता है, कलेक्टर को, विहित प्रारूप में, उसके लिये पूरे और संपूर्ण कारणों को देते हुए, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, अनुज्ञा के लिए आवेदन करेगा।

(2) कलेक्टर, ऐसे नियमों के अनुसार जो विहित किए जाएँ, आवेदन की जाँच करवाएगा उस क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) तथा प्रभागीय अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार किए बिना, आवेदन को मंजूर या नामंजूर नहीं करेगा :

परन्तु ऐसी कोई अनुज्ञा, उस दशा में, उत्तराधिकारी के सिवाय, मंजूर नहीं की जाएगी जहाँ किसी भी रीति में, हक के अर्जन की तारीख के पश्चात्, पांच वर्ष की कालावधि व्यतीत नहीं हो गई हो।

स्पष्टीकरण - संहिता के अधीन हक के अर्जन की तारीख नामांतरण के प्रमाणीकरण की तारीख होंगी।

(3) किसी एक वर्ष में, वृक्ष काटने की अनुज्ञा विनिर्दिष्ट वृक्षों, की उतनी संख्या तक ही सीमित होगी जिससे भूमिस्वामी, धन के रूप में ऐसी रकम प्राप्त कर सके जो किसी एक वर्ष में पचास हजार रुपये से अधिक न हो या जैसा कि कलेक्टर द्वारा आवेदन में विनिर्दिष्ट किए गए प्रयोजन को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा जाए :

परन्तु विशेष परिस्थितियों के अधीन कलेक्टर, सम्यक् विचार करने के पश्चात् किसी एक वर्ष में एक लाख रुपये से अनधिक मूल्य या एक वृक्ष के लिए इनमें से जो भी उच्चतर हो अनुज्ञा दे सकेगा।

5. वृक्ष काटना, तथा विनिर्दिष्ट वृक्षों का विक्रय मूल्यांकन

(1) ऐसे विनिर्दिष्ट वृक्षों का, जिनका काटा जाना अनुज्ञात किया गया है, मूल्यांकन प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाये, तैयार की गई रिपोर्ट पर आधारित होगा।

(2) कलेक्टर, धारा 4 के अधीन प्रदत्त अनुज्ञा की एक प्रति प्रभागीय वन अधिकारी को पृष्ठांकित करेगा। जो वृक्षों की कटाई करने, थप्पी लगाने, उनके परिवहन तथा विक्रय के लिये उत्तरदायी होगा, और उनका प्रतिफल भूमिस्वामी तथा कलेक्टर के संयुक्त खाते में विहित रीति में विप्रेषित करेगा।

6. भूमिस्वामी को प्रतिफल का भुगतान -

(1) भूमिस्वामी को देय प्रतिफल की रकम राष्ट्रीकृत बैंक की किसी शाखा में या जिले के केन्द्रीय सहकारी बैंक में, कलेक्टर तथा भूमिस्वामी के संयुक्त खाते में निक्षिप्त की जाएगी, जिसका प्रचालन उनके दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

(2) कलेक्टर, संयुक्त खाते में आहरण करने में यह सुनिश्चित करते हुए सर्वाधिक सावधानी तथा सतर्कता बरतेगा कि आहरण भूमिस्वामी के सर्वोत्तम हित में और उसकी वास्तविक तथा असली आवश्यकता को पूरा करने के प्रयोजन के लिये ही किया जाए।

7. प्रक्रिया - धारा 9 के अधीन की कार्यवाहियों से भिन्न इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के संबंध में यह समझा जायेगा कि समस्त प्रयोजन के लिये वह संहिता के अधीन कार्यवाहियाँ है और संहिता में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।

8. अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन - अपील, पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन के उपबंध, जैसे कि वे संहिता में विहित किए गए हैं, कलेक्टर द्वारा इस अधिनियम के अधीन पारित किए गए किसी आदेश को भी लागू होंगे।

9. उल्लंघन के लिये दंड -

(1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों व उपबंधों के उल्लंघन में कोई व्यक्ति जो आदिम जनजातियों के खातों में खड़े हुए विनिर्दिष्ट किन्हीं वृक्षों को काटता है, उनका परितक्षण करता है, उनमें कांट-छांट करता है या उनको अन्यथा नुकसान पहँचाता है या उनके किसी भाग को हटाता है तो दोषसिद्धि होने पर ऐसे कठोर कारावास का जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने का, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दायी होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कार्रवाई करने का आधार गठित करने वाले किन्हीं विनिर्दिष्ट वृक्षों की लकड़ी का अभिग्रहण कर लिया जायेगा और वह राज्य सरकार को राजसात हो जाएगी। परन्तु यदि भूमिस्वामी के प्रति कोई षड़यंत्र, कपट और छल किया जाता है तो इस प्रकार राजसात

लकड़ी के विक्रय आगम उस आपराधिक मामले के निपटारे के पश्चात् कलेक्टर के आदेश के अधीन पचास हजार रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए पचास प्रतिशत तक की सीमा तक भूमिस्वामी को दिये जायेंगे।

(3) कोई सरकारी सेवक या कोई अन्य व्यक्ति, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन में असद्भावनापूर्वक आशय से कार्य करता हैं या सम्यक् सावधानी के बिना नियमों में यथा उपबंधित कोई आदेश पारित करता है या कोई अस्तय रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, विधि के अभिव्यक्त उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह दोषसिद्धि पर ऐसे कठोर कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन कार्यवाहियों या दंड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त सरकारी सेवक, उसको लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिये भी दायित्वाधीन होगा।

10. अपराध संज्ञेय होंगे - धारा 9 के अधीन समस्त अपराध संज्ञेय होंगे।

11. नियम बनाने की शक्ति -

(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधानसभा के पटल पर रखे जायेंगे।

12. निरसन तथा व्यावृत्ति - मध्यप्रदेश प्रोटेक्शन ऑफ एबओरिजिनल ट्रायब्स (इन्ट्रेस्ट इन ट्रीज) एक्ट, 1959 (क्रमांक 11 सन् 1956) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से निरसित हो जाएगा :

परन्तु निरसित अधिनियम या नियमों के अधीन की गयी कोई कार्रवाई, जारी की गयी कोई अधिसूचना, प्रस्तुत की गयी कोई रिपोर्ट या पारित किए गए किसी आदेश के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, की गई है, प्रस्तुत की गई है या पारित की गई/गया है।

अनुसूची

(धारा 2 (ङ) देखिये)

विनिर्दिष्ट जाति के वृक्षों की सूची

1. सागवान (टेक्टोना ग्रेंडिस)
2. बीजा (अेरोकारपस मारसूपियम)
3. शीशम (डलबर्जिया लैटिफोलिया)
4. साल (शोरिया रोबस्टा)
5. तिन्सा (आंठजीनिया ऊजैनैन्सिस)
6. साजा (टर्मिनेलिया टोमेन्टोसा)
7. महुआ (मधुका इंडिका)
8. भिर्रा (क्लोरोक्जीलान स्वीटीनिया)
9. करंज (पोंगामिया ग्लेबरा)
10. तेन्दू (डाययोस्पायरस मेलानॉक्सलॉन)
11. लेन्डिया (लेगर स्ट्रोमिया पार्वीफ्लोरा)
12. धावड़ा (एनोगाइसस लेटीफोलिया)
13. खैर (अकोसिया केटेचू)
14. खमार (मेलाइना आरबोरिया)
15. चन्दन (सैंटलम अल्बम)
16. हल्दू (एडाईना कार्डिफोलिया)
17. आम (मैंजीफेरा-इंडिका)
18. जामुन (यूजीनिया-यूजेनिन्सिस)
19. इमली (टेमेरिंडस इंडिका)
20. अर्जुन (टर्मिनेलिया अर्जुना)

इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 251] भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मई 2017—ज्येष्ठ 10, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 31 मई 2017

क्र. 8955-114-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 26 मई, 2017 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १८ सन् २०१७

मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) संशोधन अधिनियम, २०१७

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम.
२. धारा १ का संशोधन.
३. धारा २ का संशोधन.
४. धारा ४ का संशोधन.
५. धारा ६ का संशोधन.
६. धारा ९ का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १८ सन् २०१७

मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) संशोधन अधिनियम, २०१७

[दिनांक २६ मई, २०१७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ३१ मई, २०१७ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, १९९९ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) संशोधन अधिनियम, २०१७ है.

धारा १ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, १९९९ (क्रमांक १२ सन् १९९९) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १ में,—

(एक) विद्यमान पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ तथा लागू होना.";

(दो) उप धारा (३) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा अंत: स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(४) इस अधिनियम के उपबंध मध्यप्रदेश लोक वानिकी अधिनियम, २००१ (क्रमांक १० सन् २००१) के उपबंधों के अधीन लगाए गए वृक्षों को लागू नहीं होंगे.".

धारा २ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा २ में, खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ग क) "आयुक्त" से अभिप्रेत है, संबंधित राजस्व संभाग का आयुक्त;".

धारा ४ का संशोधन. ४. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा (२) तथा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उप धाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"(२) कलक्टर, ऐसे नियमों के अनुसार जो कि विहित किए जाएं, आवेदन की जांच करवाएगा तथा नब्बे दिन की कालावधि के भीतर आवेदन को मंजूर या नामंजूर करेगा :

परन्तु ऐसी कोई अनुज्ञा उस दशा में, उत्तराधिकार के सिवाय, मंजूर नहीं की जाएगी जहां किसी भी रीति में, भूमि में हक के अर्जन की तारीख के पश्चात् पांच वर्ष की कालावधि व्यतीत न हो गई हो.

स्पष्टीकरण—हक के अर्जन की तारीख वह तारीख होगी जिसको कि हक का अंतरण लिखत द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया गया है.

(३) किसी एक वर्ष में वृक्ष काटने की अनुज्ञा विनिर्दिष्ट वृक्षों की उतनी संख्या तक ही सीमित होगी जिससे भूमि स्वामी धन के रूप में किसी एक वर्ष में दस लाख रुपये से अनधिक उतनी रकम प्राप्त कर सके जो कि कलक्टर द्वारा आवेदन में विनिर्दिष्ट किए गए प्रयोजन को पूरा करने के लिये पर्याप्त समझी जाए :

परन्तु विशेष परिस्थितियों में कलक्टर, आयुक्त की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के पश्चात्, किसी एक वर्ष में दस लाख रुपये से अधिक मूल्य के लिए अनुज्ञा दे सकेगा.''.

धारा ६ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ६ में, उप धारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उप धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''(१) भूमिस्वामी को देय प्रतिफल की रकम, भूमिस्वामी के खाते में, किसी अनुसूचित बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक की किसी भी शाखा में, निक्षिप्त की जाएगी.''.

धारा ९ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा ९ में, उप धारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उप धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''(२) उपधारा (१) के अधीन कार्रवाई करने का आधार गठित करने वाले किन्हीं विनिर्दिष्ट वृक्षों की लकड़ी का अभिग्रहण कर लिया जाएगा और वह राज्य सरकार को राजसात हो जाएगी :

परन्तु यदि भूमिस्वामी के प्रति कोई षड़यंत्र, कपट या छल किया जाता है तो इस प्रकार राजसात लकड़ी के विक्रय आगम, उस आपराधिक मामले के निपटारे के पश्चात्, कलक्टर के आदेश के अधीन भूमिस्वामी को दिए जाएंगे.''.

भोपाल, दिनांक 31 मई 2017

क्र. 8955-114-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) संशोधन अधिनियम, 2017 (क्रमांक 18 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 18 OF 2017

THE MADHYA PRADESH ADIM JAN JATIYON KA SANRAKSHAN (VRAKSHON ME HIT) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2017

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title.
2. Amendment of Section 1.
3. Amendment of Section 2.
4. Amendment of Section 4.
5. Amendment of Section 6.
6. Amendment of Section 9.

MADHYA PRADESH ACT

No. 18 OF 2017

THE MADHYA PRADESH ADIM JAN JATIYON KA SANRAKSHAN (VRAKSHON ME HIT) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2017

[Received the assent of the Governor on the 26th May, 2017; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 31st May, 2017].

An Act further to amend the Madhya Pradesh Adim Jan Jatiyon Ka Sanrakshan (Vrakshon Me Hit) Adhiniyam, 1999.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-eighth year of the Republic of India as follows:—

Short title. 1. This Act may be Called the Madhya Pradesh Adim Jan Jatiyon Ka Sanrakshan (Vrakshon Me Hit) Sanshodhan Adhiniyam, 2017.

Amendment of Section 1. 2. In Section 1 of the Madhya Pradesh Adim Jan Jatiyon Ka Sanrakshan (Vrakshon Me Hit) Adhiniyam, 1999 (No. 12 of 1999) (hereinafter referred to as the principal Act),—

(i) for the existing marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:—

"Short title, extent commencement and applicability.";

(ii) after sub-section (3), the following new sub-section shall be inserted, namely:—

"(4) The Provisions of this Act shall not be applicable to trees planted under the provisions of the Madhya Pradesh Lok Vaniki Adhiniyam, 2001 (No. 10 of 2001).".

Amendment of Section 2. 3. In Section 2 of the Principal Act, after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—

"(ca) "Commissioner" means the Commissioner of the revenue division concerned;".

Amendment of Section 4. 4. In Section 4 of the Principal Act for sub-section (2) and (3), the following sub-sections shall be substituted, namely:—

"(2) The Collector shall have the application enquired into in accordance with such rules as may be prescribed and grant or reject the application within the period of ninety days:

Provided that no such permission shall be granted in a case where a period of five years has not elapsed after the date of acquisition of title in the land in any manner, except by succession.

Explanation.—The date of acquisition of title shall be the date on which the transfer of title has registered by way of instrument.

(3) The permission to cut trees in a year shall be restricted only to such number of specified trees as may fetch the Bhumiswami such amount of money not exceeding reupees ten lakh in a year as is considered by the Collector to be adequate to meet the purpose specified in the application:

Provided that under special circumstances, the Collector may, after obtaining prior permission of the Commissioner, grant permission in a year for a value exceeding rupees ten lakh.".

Amendment of Section 6.

5. In Section 6 of the Principal Act, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) The amount of consideration payable to the Bhumiswami shall be deposited in the account of the Bhumiswami in any branch of a Scheduled Bank or Central Co-operative Bank.".

Amendment of Section 9.

6. In Section 9 of the Principal Act, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(2) Wood of any specified trees constituting the basis of action under sub-section (1) shall be seized and stand forfeited to the State:

Provided that if any conspiracy, fraud or deception is played on the Bhumiswami, the sale proceeds of the wood, so forfeited shall be given to the Bhumiswami under the order of the Collector, after disposal of the criminal case.".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.